# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ( अलवर

| दिनांक | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ. |
|---|---|
| 1 5/18 | पत्रावली को मद्दे नजर रखते हुए मैं पेश हुआ। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सं. 2046 में ख.नं. 905 में आवंटित प्रतिशत में गाटे जाट आवंटित है जो क्षेत्रफल जमाबन्दी सं. 2050 में अंकित कास्तकारों के साथ गाटे [illegible] रहते हो यथावत। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता करती यही कथन है कि गाटे जाट के स्थान पर अंकित त्रुटि हो गया। शुद्ध किया जावे। अतः समकरण पुत्र कन्हैया 40/245 हे० भूमिराम पुत्र कन्हैया 25/245 हे० गाटे अंकित के स्थान पर गाटे जाट दर्ज की जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में समस्त दुरुस्त हो। पत्रावली मुताबिक शुमार होकर गजबरद लेकर इसे तथा वाद कार्यालय लेखा अग्रसर हो। इतना लेखने पर तहसीलदार कोटकासिम से जवाब पेश किया गया। मुताबिक रिपोर्ट शुद्ध किया जावेगी। Ave